

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:ई-33/रेडियो./एम-92/2018/ 501

दिनांक: 31/12/2018

आदेश

श्री सुरेश चन्द, वरिष्ठ रेडियोग्राफर, जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ जिनकी राज्य सेवा में सहायक रेडियोग्राफर के पद पर नियुक्ति दिनांक 7.8.1989 है एवं जन्मतिथि 20.5.1962 है, को स्वयं की प्रार्थना पर राजस्थान सिविल सेवा नियम 1996 के नियम 50 (1) के अनुसरण में दिनांक 1.4.2019 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है, इनका दिनांक 1.4.2019 अकार्य दिवस रहेगा।

श्री सुरेश चन्द के विरुद्ध :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर

क्रमांक:ई-33/रेडियो./एम 92/2018/ 501

दिनांक: 31/12/2018

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज. जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय पेंशन विभाग, उदयपुर।
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय वास्ते अपलोड।
5. श्री सुरेश चन्द, वरिष्ठ रेडियोग्राफर को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. आदेश/निजी पत्रावली।

उक्त कार्मिक के विरुद्ध यदि ऑडिट पैरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत करावें।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर